न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 349/07 (वाद)
GCMS No. : 2007/00084

अनवान

1. श्री सुन्दरलाल पिता स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडौदरा गुजरात।

............वादी

बनाम्

1. श्री ललित पिता स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडौदरा गुजरात।
2. श्रीमती सोहनबाई बेवा स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडौदरा गुजरात।
3. श्रीमती पार्वतीबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी भगतराम डाड निवासी श्री रामकुटीर सोमानी बाग के पीछे कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. श्रीमती रूकमाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी रामेश्वरलाल असावा निवासी केलवाडा तह. केलवाडा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती जमनाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी शंकरलाल ईनाणी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
6. श्रीमती कान्ताबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी मांगीलाल मंत्री निवासी 12 आशीष सोसायटी पानी की टंकी के सामने नडियाद जिला खेडा, गुजरात।
7. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी सुरेश सामरिया निवासी हनुमान गली, सामरिया पोल भीण्डर तह. वल्लभनगर।
8. श्री राकेश पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल जामनगर 45 दिगविजय प्लोट ओसवाल बोर्डिंग के सामने जामनगर गुजरात।
9. श्री दिलिप पिता जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारोली बाग बडौदरा गुजरात।
10. श्री अनिल पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारोली बाग बडौदरा गुजरात।
11. श्री अल्पेश पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2 कारोली बाग बडौदरा गुजरात।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

12. श्रीमती शान्तीबाई बेवा स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
13. श्रीमती मन्जु पुत्री जगदीश पत्नी अर्जुनलाल मंत्री निवासी 5/आवकार सोसायटी विभाग 2 प्रेरक बंगले के पीछे आनन्दनगर के सामने कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
14. श्रीमती सरोज पुत्री जगदीश पत्नी महेन्द्र मुन्दडा निवासी बी 14 मन्जीत सोसायटी साई दीप अपार्टमेन्ट के पास कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
15. श्री भंवरलाल पिता रामप्रताप मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल भीण्डर सदर बाजार तह. वल्लभनगर।

15/1 श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल मण्डोवरा निवासी भीण्डर तह. वल्लभनगर।

15/2 श्रीमती पुष्पा पुत्री भंवरलाल मण्डोवरा पत्नी रामचन्द्र पोरवाल निवासी 4 देव प्रीतम नगर फस्ट कॉर्नर हरिकृष्णा कॉम्पलेक्स के पीछे 38 पालडी, एलीस ब्रीज अहमदाबाद 6 गुजरात।

15/3 श्रीमती सुशीला पुत्री भंवरलाल मण्डोवरा पत्नी सुनील चण्डक उपरला पाडा चण्डक भवन गांधी चोक चित्तौडगढ।

16. श्री कैलाश पिता बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 8 धनन्जय सोसायटी वी.आई.पी. रोड कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
17. श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 12 आर.आर. अपार्टमेन्ट के पास कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
18. श्रीमती रूकमणी देवी बेवा बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 8 धनन्जय सोसायटी वी.आई.पी. रोड कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
19. श्री नाथुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।
20. श्री कन्हैयालाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ओलपाड आलुका सुरत जिला सुरत गुजरात सी/5 सिद्वार्थ नगर सोसायटी ओलपाड।
21. श्री केशुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 150 आनन्दनगर सोसायटी कारेली बाग रोड बडौदरा गुजरात।
22. श्रीमती गंगा पुत्री चम्पालाल मण्डोवरा पत्नी शंकरलाल जागेटिया निवासी पलानाखुर्द हाल वनमाली कांकाणी पोण मोटाडेली शाहपूर चकला शाहपूर अहमदाबाद गुजरात।
23. श्री नाथुलाल पिता गोविन्दराम मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

24. श्री मांगीलाल पिता नन्दकिशोर मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल नडियाद भाग्योदय कुकर सर्विस सेन्टर काछियावाड नडियाद जिला खेडा गुजरात।

24/1 श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल अहमदाबाद ए/401 सत्यम अपार्टमेन्ट स्पेक्टम टावर के पास पुलिस स्टेडियम के सामने शाही बाग अहमदाबाद गुजरात।

24/2 श्री कुंजबिहारी पिता मांगीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल नडियाद भाग्योदय कुकर सर्विस सेन्टर काछियावाड नडियाद जिला खेडा गुजरात।

24/3 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी जमनालाल नारायणीवाल निवासी कुंथवास हाल अहमदाबाद 35 ज्योति का पाके पुलिस कमीश्नर ऑफिस के पास शाहीबाग अहमदाबाद।

24/4 श्रीमती मंजु पत्नी नवनीतलाल तापडिया निवासी सेमल हाल अहमदाबाद गुजरात बी/14 कृष्णधाम सोसायटी नाडोल गांव ईशनपुर अहमदाबाद गुजरात।

25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली तह. मावली।

26. श्रीमती कंचन बेवा जानकीलाल ईनाणी निवासी हाल अहमदाबाद 51 मंगल ध्वनी सोसायटी रामराज्य नगर के पास सरस्वती के पीछे ओढव अहमदाबाद गुजरात।

27. श्रीमती सोहनदेवी पत्नी मांगीलाल पोरवाल निवासी कुंवारिया जिला राजसमन्द।

28. श्रीमती लीला पत्नी ईश्वरलाल सोमाणी निवासी उपरला बगेला मुकाम पोस्ट पलानाखुर्द तह. मावली।

29. श्रीमती शारदा पत्नी चन्द्रकान्त जागेटिया निवासी 10 पंचवटी कॉम्पलेक्ट बारडोली जिला सुरत गुजरात।

30. श्री सुरेन्द्र पिता सुलतान सिंह राजपूत निवासी साकरियाखेडी तह. मावली।

31. श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी निवासी डांगीखेडा पलानाखुर्द तह. मावली।

32. श्री कालुलाल पिता रूपा डांगी निवासी डांगीखेडा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता वादी।

2. श्री विष्णुकुमार मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 19 से 22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870 किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो खतौनी संख्या 2063 से 2066 में पक्षकारो के अर्थात् वादी, प्रतिवादीगण 1 से 22 पूर्वज स्व. श्री रामप्रताप, स्व. चम्पालाल जी, स्व. श्री रामचन्द्र जी पिता श्री पन्नालाल महाजन मण्डोवरा तीनों सगे भाईयों के 1/3 हक से, प्रतिवादी सं. 23 श्री नाथुलाल पिता गोविन्दराम जी महाजन मण्डोवरा 1/3 हक से एवं प्रतिवादी सं. 24 श्री मांगीलाल पिता नन्दकिशोर जी महाजन मण्डोवरा 1/3 हक से खातेदारी में दर्ज हैं। यह भूमि इस वादपत्र में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही हैं।

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 23 के पूर्वजो का सजरा निम्न प्रकार है :–

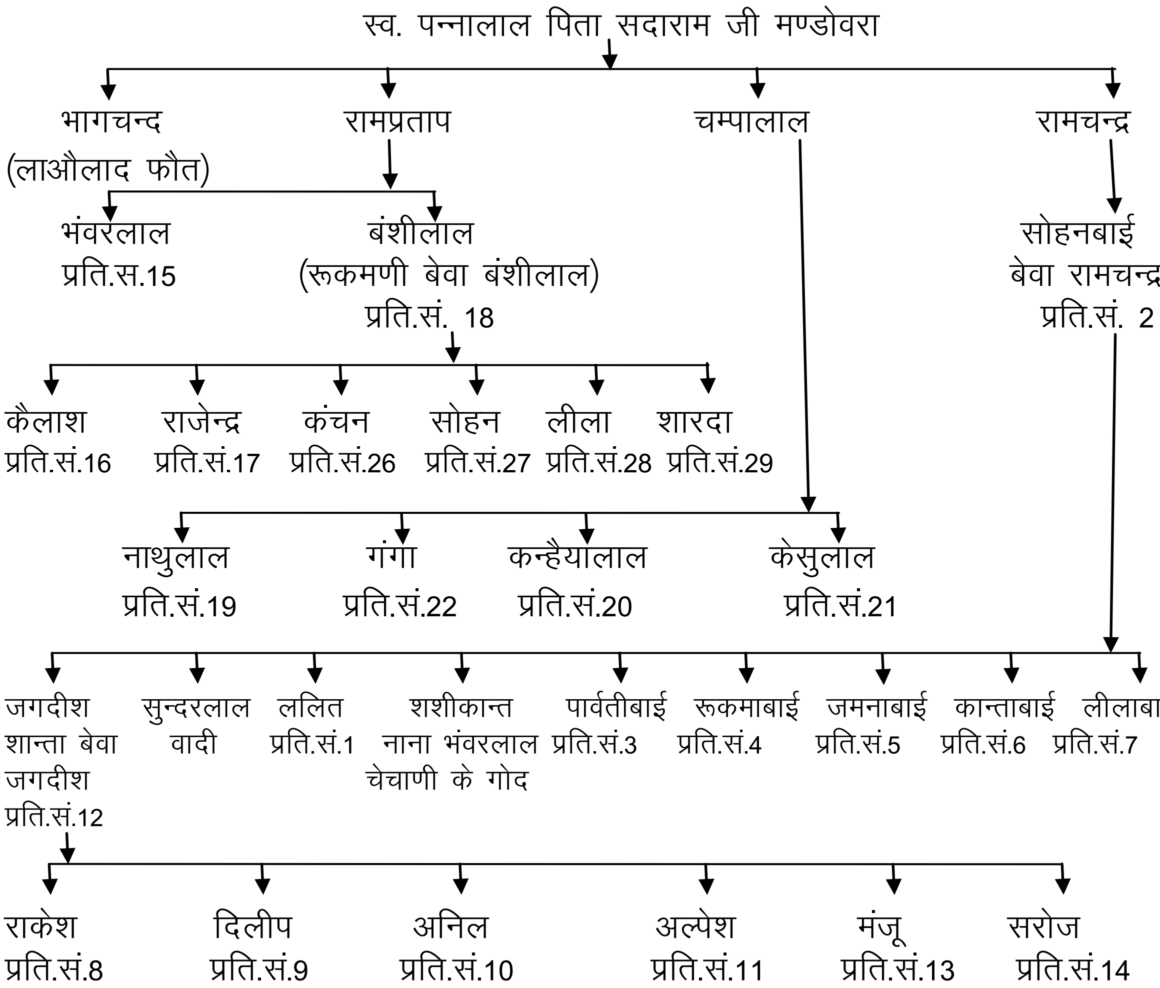

3. कि स्व. पन्नालाल जी मण्डोवरा के ज्येष्ठ पुत्र स्व. श्री भागचन्द जी का देहान्त सन 1976 ई. आसपास हो गया, स्व. रामचन्द्र जी का देहान्त दिनांक 06.04.06 ई. को हुआ, श्री जगदीशलाल जी ... रामचन्द्र जी का देहान्त दिनांक 06.06.2006 ई. को हुआ, स्व. रामप्रताप ... और स्व. चम्पालाल जी का देहान्त भी भागचन्द जी के देहान्त के बाद 10-15 वर्ष पहले हो गया हैं। स्व. रामप्रताप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

जी के उत्तराधिकारी पुत्र भंवरलाल जी प्रतिवादी सं. 15, पुत्रवधु श्रीमती रूकमणी देवी प्रतिवादी सं. 18, पौत्र कैलाश और राजेन्द्र प्रतिवादी सं. 16, 17 हैं। स्व. खातेदार चम्पालाल जी के पुत्र, पुत्री प्रतिवादीगण 19 से 22 श्री नाथुलाल जी, कन्हैयालाल जी, केसुलाल जी, श्रीमती गंगा हैं। स्व. खातेदार श्री रामचन्द्र जी के उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती सोहनबाई प्रतिवादी सं. 2, स्व. पुत्र जगदीश के पुत्र, पुत्री, मॉ, पत्नी प्रतिवादीगण संख्या 8 से 14 पुत्र प्रतिवादी सं. 1 ललित, पुत्रिया प्रतिवादीगण श्रीमती पावतीदेवी, श्रीमती रूकमाबाई, श्रीमती जमनाबाई, श्रीमती कान्ताबाई और श्रीमती लीलाबाई प्रतिवादीगण सं. 3 से 7 हैं तथा वादी भी स्व. खातेदार रामचन्द्र जी का एक पुत्र है। स्व. रामचन्द्र जी का एक पुत्री श्री शशिकान्त अपने नाना श्री भंवरलाल जी चेचाणी निवासी मावली के गोद चला गया सो उसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया।

4. यह कि वादगत भूमि को भूतिया वाली जमीन के नाम से पुकारते है। इसमें 1/3 खातेदारी अधिकार प्रतिवादी सं. 24 मांगीलाल जी मण्डोवरा के स्व. पिताश्री नंदकिशोर जी का था जो उन्होने तथा उनके भतीजो लक्ष्मीलाल, श्री सोहनलाल पिता हीरालाल ने भूतिया नामी जमीन का उनका पूरा 1/3 हक बिल एवज रूपये 50/– में वादी के दादाजी स्व. पन्नालाल जी को विक्रय कर दिया तथा इसकी एक लिखतम इन क्रेतागण के पक्ष में नंदकिशोर जी, सोहनलालजी, लक्ष्मीलालजी ने कर दी तथा कब्जा क्रेतागण का करा दिया। जिसके बाद वादगत भूमि के 2/3 भाग के वादी के पिता, दादा और ताउ खातेदार काश्तकार हो गये परन्तु रेवेन्यु रेकार्ड में इस विक्रय का नामान्तरण नहीं खुलने से यह भूमि क्रेतागण के नाम से दर्ज होने से रह गई और नन्दकिशोर जी विक्रेता के देहान्त के पश्चात् उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 24 मांगीलाल जी मण्डोवरा के 1/3 हक से दर्ज हो गई। परन्तु मांगीलाल जी मण्डोवरा का इस भूमि पर कब्जा भुगतभोग नहीं रहा है, न उनका इसमें खातेदारी स्वत्व ही रहा हैं। क्योंकि उनके पिता ने इसे वादी के दादा, ताउ पिता को बेच दी थी। इसी आशय की घोषणा का यह वाद हैं।

5. यह कि वादी के दादाजी पन्नालाल जी के देहान्त के पश्चात् वादगत भूमि उनके चारो पुत्र अर्थात् वादी के पिता रामचन्द्र जी तीनों ताउ अर्थात् भागचन्द जी, रामप्रताप जी और चम्पालाल जी के नाम दर्ज हो गई। इस समय वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purpadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

बडे ताउ श्री भागचन्द जी एक हत्या के अपराध में संयोजित हो गये, सो उन्हे जाति से बहिष्कृत कर दिया और समाज के दबाव से वादी के पिता दोनों अन्य ताउओ ने वादगत भूतिया नामी जमीन को अपना 2/3 हिस्सा स्व. भागचन्द जी मण्डोवरा को हिस्से में दे दिया तथा दूसरी भूमि जो केराईवाली जमीन के नाम से कही जाती है उसे तीनों भाईयों ने अपने हिस्से में रख ली। इस आशय की एक लिखतम वादी के पिता और ताउ श्री रामचन्द्र जी मण्डोवरा, श्री चम्पालाल जी और श्री रामप्रताप जी ने सम्वत् 2027 के आसोज वीद 3 को लिख उस पर अपने हस्ताक्षर कर स्व. भागचन्द जी को दे दी। इसके पश्चात् सम्वत् 2029 के आसोद विद 3 को भी दूसरी लिखतम इस आशय की कर दी कि चारो भाई मिल भूतियां नामी जमीन भागचन्द के खाते में और केराई नामी जमीन तीनों अन्य भाई अर्थात् श्री रामप्रताप जी, चम्पालाल जी और रामचन्द्र जी के खाते दर्ज करा देगें। यह लिखतम रामचन्द्र जी की बही में होने से उसकी नकल पेश कर रहे है परन्तु इन लिखतम की तामील में इन लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा उनके वारिस ज्यादातर बाहर गुजरात के भिन्न–भिन्न शहरों में अपना–अपना कारोबार करने लग गये सो अभी तक वादगत भूमि स्व. रामप्रताप जी, स्व. चम्पालाल जी और स्व. रामचन्द्र जी के नाम पर ही दर्ज चली आ रही हैं। जबकि इनके कई वारिसों का भी देहान्त हो गया है इस प्रकार बंटवाडे से वादगत भूतियानामी भूमि में स्व. रामप्रताप जी, स्व. चम्पालाल जी और स्व. रामचन्द्र जी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहा और केवल भागचन्द जी ही अकेले खातेदार कृषक हुए।

6. यह कि स्व. रामप्रताप जी, स्व. चम्पालाल जी और स्व. रामचन्द्र जी ने भी अपने हिस्से की भूमि केराई नामी जमीन का बंटवाडा कर उस सम्पूर्ण भूमि को उन्होने पीपरोली के ब्राहम्णों को, वांगरोदी के राजपूतों को तथा नूरडा गांव के ब्राहम्णों को बेच दी, जो अभी खरीददारों के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार स्व. रामप्रताप जी, स्व. चम्पालाल जी और स्व. रामचन्द्र जी का भाईयों का आपसी बंटवाडा से भूतियानामी जमीन वादगत भूमि में स्वत्व कब्जा नहीं रहा है और जब तक स्व. भागचन्द जी जीवित रहे यह भूमि उन्ही अकेले के कब्जे भुगतभोग में बतौर खातेदार रही।

7. यह कि स्व. भागचन्द जी के बुढापे [illegible] सेवा चाकरी करने वाला नहीं रहा सो उनके छोटे भाई अर्थात् वादी के पिता स्व. रामचन्द्र जी ने अपने बडे भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

भागचन्दजी की सेवा चाकरी की। जिस सेवा से प्रसन्न होकर भागचन्द जी ने अपने जीवनकाल में अपने भाई रामचन्द्र जी के पक्ष में एक वसीयत अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पति की तारीख 01.08.1972 ई. को 1.50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखकर निष्पादित कर दी, जो वसीयत भागचन्द जी देहान्त के पश्चात् वादी के पिता रामचन्द्र जी के कब्जे में आई तथा भागचन्द जी का मकान तथा वादगत भूमि भी वादी के पिता रामचन्द्र जी के कब्जे में आई और उनके मकान को भी वादी के पिता रामचन्द्र जी ने जीर्णोदार कराया और रामलाल जी सोमाणी को बेचा है, सो रामलाल जी सोमाणी के कब्जे में हैं इस वजह से वादगत भूमि के 2/3 हिस्से के वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 14 सभी विरासत से सहखातेदार कृषक हैं। इसी आशय की घोषणा का यह वाद है। शेष 1/3 हिस्से का काश्तकार प्रतिवादी सं. 23 नाथुलाल पिता गोविन्दराम सहखातेदार होने से पक्षकार मुकदमा हैं।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 14 भिन्न–भिन्न स्थानों पर दूर रह रहे है और अपना कारोबार कर रहे हैं और वे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में कार्यवाही कराने को उपस्थित होने से असमर्थ होने से उन्हे प्रतिवादी बनाये हैं।

9. यह कि वादगत भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 14 अपना 2/3 हिस्सा प्रति. संख्या 23 श्री नाथुलाल पिता गोविन्दराम के संयुक्त खातेदारी में नही रखना चाहते है सो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के 2/3 हिस्से का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने के लिए यह वाद हैं।

10. यह कि वाद हेतु दिनांक 26.02.2007 को पैदा हुआ जिस दिन प्रतिवादी सं. 15 भंवरलाल और उनके भतीजो ने यह गलत कथन किया कि उनके दादा स्व. रामप्रताप जी का नाम वादगत भूमि के खातेदारों में नाम है सो उनका भी हक हैं।

11. यह कि विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादगत भूमि पर अगर प्रतिवादीगण संख्या 15 से 22 अपना स्वत्व सिद्ध करने में सफल हो जाते है तो भी सम्वत् 2027 के आसोद विद तीज से आज तक वादगत भूमि पर इनका, इनके पूर्वजों का कब्जा भुगतभोग नहीं रहा है सो इनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है और वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 निरन्तर अपने कब्जे से इसके खातेदार कृषक हो गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि इस वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 24 श्री मांगीलाल के देहान्त तारीख 17.12.2009 ई. के पश्चात् उसके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादीगण संख्या 24/1 श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल, 24/2 श्री कुन्जबिहारी पिता मांगीलाल, 24/3 श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी मांगीलाल, 24/4 श्रीमती मन्जू पत्नी नवनीतलाल ने तारीख 21.09.2010 ई. को वादगत भूमि का एक अवैध विक्रय पत्र भूमि के दलाल बहक श्री सुरेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह के पक्ष निष्पादित कर दिया और भूमि के दलाल श्री सुरेन्द्रसिंह ने पुनः इस वादगत खरीदी भूमि का दूसरा अवैध विक्रय पत्र बहक श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी निवासी डांगीखेडा, पलानाखुर्द और कालु पिता रूपा जी डांगी निवासी डांगीखेडा, पलानाखुर्द के पक्ष में तारीख 15.11.2010 ई. को निष्पादित कर दिया हैं जो अवैध एवं शून्य हैं। इन दस्तावेजों से क्रेतागण को कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। श्री लेहरीलाल पिता कालू ने वादगत भूमि पर सन् 2011 के जेठ माह के अन्त में जबरन कब्जा कर लिया है जिस वजह से वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 को इस भूमि का कब्जा मय हर्जाना प्राप्त करना आवश्यक हो गया हैं।

13. अतः निवेदन है कि निम्न आशय की घोषणा एवं पांति बंटवाडा की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2861 से 2870 तक कुल किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 को 2/3 हिस्से के सहखातेदार कृषक घोषित कराये जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का वादगत भूमि में 2/3 हिस्से का पांती बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जावें। प्रतिवादीगण श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी और श्री कालु पिता रूपा डांगी से वादगत भूमि का कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 को दिलाया जावें और उनसे प्रत्येक साख का 2000/– दो हजार रूपया प्रति बीघा के हिसाब से हर्जाना भी कब्जा लेने तक की अवधि का प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्रसिंह, श्री लेहरीलाल डांगी और श्री कालु डांगी से दिलाया जावें।

14. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14, 15/1 से 15/3, 16 से 18, 23, 24/1 से 24/4, 26 से 32 बावजूद सूचना [illegible] रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 19 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purbia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

22 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूतिया वाली जमीन आपसी सहमति बंटवारे से सभी भाईयों के बंटवारे से अकेले बडे भाई स्व. भागचन्द जी के हिस्से में रखी तथा अन्य जमीन नामी केराईवाली वो जमीन भागचन्द जी के छोटे भाई श्री रामप्रताप, श्री चम्पालाल, श्री रामचन्द्र तीनों के शामिल में रखी। इन तीनों भाईयों ने अपनी केराई वाली सभी जमीन अन्यों को बेच दी है जो खरीद से खरीददारों के कब्जे में हैं। भूतिया वाली जमीन का रेवेन्यु रेकार्ड दुरूस्त नहीं करा सके जिससे जो जमीन भागचन्द जी के कब्जे के बावजूद चारो भाईयों के खतौनी में दर्ज चली आ रही है। श्री भागचन्द जी अपने जीवनकाल में एक हत्या के मामले में समाज से बहिष्कृत हो गये थें इसलिए उनको यह भूमिया वाली जमीन देकर तीनों भाईयों ने परिवार से अलग किया। परन्तु इनके बुढापे में उनकी सेवा चाकरी केवल छोटे भाई श्री रामचन्द्र पिता पन्नालाल जी मण्डोवरा के पक्ष में एक वसीयत पत्र तारीख 01.08.1972 को मावली न्यायालय परिसर में पिटीशन राईटर स्वर्गीय श्री जेठालाल कोठारी से लिखवाई जिस पर नम्बर 1 कन्हैयालाल सोमानी, 2 श्री रामलाल पिता किशन सोमानी, 3 श्री हरिराम काबरा पिता लीलाधर सोमानी, श्री रतनलाल चंडक, श्री रामविलास चंडक, श्री बालकिशन मण्डोवरा, श्रीमती फतहलाल सोमानी निवासी पलानाखुर्द, वसीयत पत्र के वसीयतकर्ता श्री भागचन्द जी, लेखक श्री जेठालाल कोठारी साख देहीन्दागण अर्थात् श्री कन्हैयालाल सोमानी, श्री रामलाल जी सोमानी, श्री हरिराम काबरा, श्री लीलाधर जी सोमानी, श्री रतनलाल जी चंडक, श्री रामबिलास जी चंडक, श्री बालकिशन जी मण्डोवरा, श्री फतेहलाल जी सोमानी सभी का देहान्त हो गया हैं। इस वसीयत पत्र में लिखी वादगत जमीन व गांव में स्थित मकान दुकान भागचन्द जी के देहान्त के पश्चात् उनके सबसे छोटे भाई श्री रामचन्द्र पिता पन्नालाल मण्डोवरा वादी के पिता के कब्जे में हैं। वादगत भूतियावाली जमीन मौजा पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2861 से 2870 कुल किता 10 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा हैं। यह भूतिया वाली जमीन के नम्बर हैं। इसी जमीन के 1/3 हिस्से को स्व. नन्दकिशोर जी पिता सीतारामजी मण्डोवरा ने बिल एवज रूपया 50/– पचास रूपया में वादी सुन्दरलाल जी के स्वर्गीय दादाजी श्री पन्नालाल जी को सम्वत् 2001 में विक्रय कर कब्जा दे दिया था। इसके बाद नन्दकिशोर जी गांव सालेराकलां में बस गये। तब से इस जमीन पर पन्नालाल जी एवं पन्नालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

जी के बाद आपसी पारिवारिक बंटवाडे से भागचन्द जी तथा भागचन्द जी के बाद जरिए वसीयत रामचन्द्र जी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा रामचन्द्र ने परिवार सहित गुजरात जाकर रहने के कारण अपनी इस जमीन को वर्ष 1997 में दयाराम गुर्जर को रहन रख दी जिसे वादी सुन्दरलाल ने रहन मुक्त कराया तथा वर्ष 2007 में वादी सुन्दरलाल ने अपनी इस भूतिया वाली जमीन को पुनः दयाराम जी को रहन रख दी। इस जमीन में नन्दकिशोर जी द्वारा अपने हिस्से को पन्नालाल जी को बेचने के बाद नन्दकिशोर का इस जमीन में कोई हक अधिकार नहीं रहा लेकिन रेकार्ड में नन्दकिशोर का नाम अंकित रहने से नन्दकिशोर के निधन के पश्चात् इनके पुत्र मांगीलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 24/1 से 24/4 ने नन्दकिशोर जी के नाम अंकित हक हिस्से को अपने नाम पर रद्दोबदल करवाकर गलत तरीके से बिना कब्जे के दिनांक 21.09.2010 को भूतियावाली जमीन का दिखावटी विक्रय पत्र सुरेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह राजपूत निवासी साकरियाखेडी के पक्ष में लिख दिया और दिनांक 15.11.2010 को सुरेन्द्रसिंह ने पुनः लेहरीलाल पिता रामा डांगी निवासी डांगीखेडा एवं कालु पिता रूपा डांगी के पक्ष में उक्त भूतियावाली जमीन का दिखावटी विक्रय पत्र लिख दिया और लेहरीलाल डांगी व कालु डांगी ने वादी की गैरमौजूदगी में जबरन ताकत के बल पर वादी के हिस्से कब्जे की भूतियावाली वादगत जमीन के पूर्व तरफ की जमीन पर कब्जा कर लिया। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

15. यह कि इस प्रकार वादी इस वादगत भूतियावाली 2/3 हिस्सा जमीन का स्वामी है और इस कुलिया जमीन को अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा इस भूतियावाली जमीन के जिस भाग पर श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी एवं श्री कालु पिता रूपा डांगी ने दिखाऊ विक्रय पत्र की आड लेकर जबरन कब्जा किया है उसको वादी वापस प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

16. यह कि वादी का वाद वादपत्र में वर्णितानुसार वादी के पक्ष में डिक्री फरमाया जावे जिसमें हम प्रतिवादीगण को कोई उजर एतराज नहीं हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार कर डिक्री फरमाये जाने की कृपा करावें।

Signature Not Verified

17. प्रतिवादी सं. 24 द्वारा जवाब पेश कर[illegible] किया कि वाद वर्णित आराजीयात के साबिक नम्बर 1472, 1473, 1474, [illegible], 1477, 1478 है जो श्री हरालाल

Digitally signed by Ramesh Sirvi Purudia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

पिता गोपाललाल महाजन के नाम पर दर्ज थी। हाल नम्बर में 1/3 हक मुझ मांगीलाल के नाम पर सही दर्ज हैं। मुझ मांगीलाल के पिता नन्दकिशोर जी ने कभी भी कोई जमीन पन्नालाल जी को नहीं बेची न कोई लिखापढी की हैं तथा कथित लिखापढी स्टाम्प पर नहीं है तथा पंजीकृत भी नहीं है इसलिए शहादत में ग्राह्‌य नहीं हैं तथा इसके आधार पर कोई वाद नहीं हो सकता है। इस जमीन को भूरीया वाली जमीन भी कहते हैं। नन्दकिशोर के पिता का नाम सीताराम ही था तथा हीरालाल के पिता का नाम गोपाललाल था ऐसी अवस्था में वादी का यह कथन की नन्दकिशोर हीरालाल सगे भाई थे अपने आप में गलत हो जाता है। जो जमीन मुझ मांगीलाल के नाम पर 1/3 हिस्से से दर्ज है उस पर कब्जा मुझ मांगीलाल का ही चला आ रहा हैं। इतने लम्बे समय तक वादी कोई कार्यवाही नहीं करायी है इस बात का द्योतक है कि उसका कथन सर्वथा गलत एवं बेबुनियाद है अगर वास्तव में वादी का कब्जा होता तो उसके बाद सेटलमेन्ट हुआ और उस सेटलमेन्ट में यह हक उसके नाम पर दर्ज हो जाता लेकिन उसका कोई स्वत्व ही नहीं था इसलिए यह 1/3 हिस्सा उसके नाम दर्ज नहीं हुआ। वादग्रस्त आराजीयात के साबिक नम्बर श्री हीरालाल के नाम पर थे तो वे नम्बर हीरालाल के वादी के पूर्वज के नाम पर कैसे आये इसका कोई स्पष्टीकरण वादी ने नहीं दिया हैं। इस कारण यह वाद खारिज योग्य हैं। वादी का इतने लम्बे समय तक चुप बैठे रहने से भी यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। यह कि इन आराजीयात में मुझ प्रतिवादी मांगीलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। इसके पहले मेरे पिताजी के नाम पर दर्ज था। अतः प्रार्थना है कि वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

18. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया मौजा पलानाखुर्द तह. मावली की खतौनी संख्या 422 की आराजी किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल मण्डोवरा के पिता स्व. नन्दकिशोर जी ने सम्वत् 2007 के चेत्र सुदी तेरस को बिल एवज रूपया 50/- वादी के दादाजी श्री पन्नालाल पिता रामचन्द्र जी ताउ भागचन्द, रामप्रताप, चम्पालाल जी को विक्रय कर क्रेतागण को काबिज करा दिया।

.........बजिम्मे वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

2. आया आसोज विद तीज सम्वत् 2007 को उपरोक्त आराजी किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा को वादी के ताउ स्व. भागचन्द जी को देकर भाईयों ने परिवार से अलग कर दिया।

...............बजिम्मे वादी

3. आया स्व. भागचन्द मण्डोवरा ने वादगत भूमि का एवम् अपनी चलाचल सम्पतियों का एक वसीयत पत्र दिनांक 01.08.1972 को वादी के पिता स्व. रामचन्द्र के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिस वजह से इस भूमि के 2/3 हिस्से के वादी एवम् प्रतिवादीगण 1 से 14 विरासत से सहखातेदार कृषक हैं।

...........बजिम्मे वादी

4. आया प्रतिवादीगण 15 से 22 का एवम् इनके पूर्वजो का सम्वत् 2027 के आसोज विद तीज से वादगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा। इस कारण से इनका स्वतः समाप्त हो गया हैं।

..........बजिम्मे वादी

5. आया वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 से 14 का वादगत भूमि पर सम्वत् 2027 के आसोज विद तीज से 2/3 हिस्से पर मालिकाना कब्जा होने से 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये हैं।

............बजिम्मे वादी

5ए. आया दोहराने वाद प्रतिवादीगण 24/1 श्री रमेशचन्द्र, 24/2 श्री कुंज बिहारी, 24/3 श्रीमती पार्वतीदेवी और 24/4 श्रीमती मंजु ने तारीख 21.09.2010 ईस्वी को एक अवैध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 30 श्री सुरेन्द्र सिंह पिता सुल्तानसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया और इस सुरेन्द्रसिंह चुण्डावत ने इसी भूमि का विक्रय विलेख तारीख 15.11.2010 ईस्वी को प्रतिवादी संख्या 31 श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी, प्रतिवादी संख्या 32 श्री कालुलाल पिता रूपा डांगी के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिन्होने इस भूमि पर जबरन कब्जा कर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है। जिस वजह से वादी श्री सुरेन्द्रसिंह, श्री लेहरीलाल और श्री कालुलाल से इस वादग्रस्त विक्रीत भूमि का कब्जा एवं हर्जाना 2,000 अक्षरे दो हजार रूपया प्रति एक साख के हिसाब से प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

............बजिम्मे वादी

6. अनुतोष।

19. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र, पी.डब्ल्यू–2 श्री दयाराम पिता नवला, पी.डब्ल्यू–3 श्री शंकरलाल पिता उदयराम उर्फ डालचन्द, पी.डब्ल्यू–4 श्री तुलसीराम पिता डुंगा के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी सं. 19 से 22 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

20. प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, भू प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति प्रदर्श प्रदर्श 2ए, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 3 से 5, आपसी पांती बंटवाडा लिखापढी असल प्रदर्श 6 एवं छायाप्रति प्रदर्श 6ए, भाई भागचन्द द्वारा वसीयत भाई रामचन्द्र के पक्ष में लिखापढी असल प्रदर्श 7 एवं छायाप्रति प्रदर्श 7ए, रसीद असल प्रदर्श 8 से 35 एवं छायाप्रति प्रदर्श 8ए से 35ए, रामचन्द्र ने दयाराम गुर्जर के पक्ष में ईकरारनामा की फोटोप्रति नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रदर्श 36, आपसी पांती बंटवाडा चारो भाईयों की लिखापढी चौपनिये पर असल प्रदर्श 37 एवं छायाप्रति प्रदर्श 37ए, नन्दकिशोर द्वारा पन्नालाल जी के पक्ष में लिखापढी चौपनिया असल प्रदर्श 38 एवं छायाप्रति प्रदर्श 38ए, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 39, मिलान खसरा प्रदर्श 40, विक्रय पत्र दिनांक 21.09.2010 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 41, विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2010 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 42, नन्दकिशोर द्वारा पन्नालाल के पक्ष में बेचान की लिखापढी चौपनिये पर असल प्रदर्श 43 एवं छायाप्रति प्रदर्श 43ए पेश किये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 19 से 22 द्वारा अपने जवाबदावें के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कियें।

21. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 19 से 22 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

22.हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न है:–

1. आया मौजा पलानाखुर्द तह. मावली की खतौनी संख्या 422 की आराजी किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल मण्डोवरा के पिता स्व. नन्दकिशोर जी ने सम्वत् 2007 के चेत्र सुदी तेरस को बिल एवज रूपया 50/– वादी के दादाजी श्री पन्नालाल पिता रामचन्द्र जी ताउ भागचन्द, रामप्रताप, चम्पालाल जी को विक्रय कर क्रेतागण को काबिज करा दिया।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 38ए साधारण कागज पर लिखापढी प्रस्तुत की। जो अनरजिस्टर्ड हैं। वादी द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यता हेतु कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया, जिससे उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। वादी उक्त लिखापढी के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा कराना चाह रहा हैं। अतः उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से उसकी प्रमाणिकता पर संशय उत्पन्न होता हैं क्योंकि उक्त लिखापढी किस आराजीयात एवं किस गांव के सम्बन्ध में की गई है स्पष्ट नहीं हैं तथा ना ही लिखापढी पठनीय हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन दस्तावेज प्रदर्श 38ए जिस लिखापढी के आधार पर जो ना ही रजिस्टर्ड है, ना हि पंजीकृत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा किन प्रवृत शर्तो के अधीन दी जायेगी उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। लिखित समझौता, मौखिक साक्ष्य, इकरारनामा इत्यादि के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। न्यायिक दृष्टांत छोगा बनाम रामनाथ 1981 आर.आर.डी. पेज नम्बर 173 एवं सोहनसिंह बनाम लाला 1981 आर.आर.डी. 560 के अनुसार भी जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं था, तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। खातेदारी की घोषणा के संबंध में अधिकार अभिलेख को सही करने की प्रार्थना की गई। ऐसी घोष[illegible] सकती है। जब खातेदारी बिना किसी विधिक उपब[illegible] और साक्ष्य [illegible] दे दी गई, तो अपास्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी दस्तावेज प्रदर्श 38ए के आधार पर उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

2. आया आसोज विद तीज सम्वत् 2007 को उपरोक्त आराजी किता 10 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा को वादी के ताउ स्व. भागचन्द जी को देकर भाईयों ने परिवार से अलग कर दिया।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में आपसी पांती बंटवाडा की साधारण कागज पर लिखापढी पेश की जो अनरजिस्टर्ड होकर दस्तावेज प्रदर्श 6ए हैं। तनकी नम्बर एक वादी के पक्ष में साबित नही होने से उसके बाद की कार्यवाही के संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक नही है। क्योंकि उक्त कथन भी तनकी नम्बर 1 पर ही आधारित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

3. आया स्व. भागचन्द मण्डोवरा ने वादग्रस्त भूमि का एवम् अपनी चलाचल सम्पतियों का एक वसीयत पत्र दिनांक 01.08.1972 को वादी के पिता स्व. रामचन्द्र के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिस वजह से इस भूमि के 2/3 हिस्से के वादी एवम् प्रतिवादीगण 1 से 14 विरासत से सहखातेदार कृषक हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। उक्त कथन तनकी नम्बर एक पर ही आधारित है। तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्व साबित हो चुकि है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4. तनकी नम्बर 4 व 5 एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित होने से दोनो तनकीयों को एक साथ ही निर्णित किया जाता हैं। आया प्रतिवादीगण 15 से 22 का एवम् इनके पूर्वजो का सम्वत् 2027 के आसोज विद तीज से वादगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा। इस कारण से इनका स्वतः समाप्त हो गया हैं। तनकी 5 आया वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 से 14 का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2027 के आसोज विद तीज से 2/3 हिस्से पर मालिकाना कब्जा होने से 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तक[illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा उक्त दोनो तनकियो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा किसका है तथा इसका उपयोग उपभोग कौन कर रहा हैं। वादी द्वारा केवल मात्र लगान रसीदों से कब्जा साबित कराने का प्रयास किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। साथ ही तनकी नम्बर 5ए जो वादी को सिद्ध करानी थी उसके अनुसार वादी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वर्तमान में वादी का कब्जा नहीं हैं। यहां न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादी उक्त तनकी के माध्यम से एडवर्स पजेशन साबित करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता था परन्तु एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी उक्त दोनो तनकियो को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः उक्त दोनो तनकिया वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. 5ए. आया दौराने वाद प्रतिवादीगण 24/1 श्री रमेशचन्द्र, 24/2 श्री कुंज बिहारी, 24/3 श्रीमती पार्वतीदेवी और 24/4 श्रीमती मंजु ने तारीख 21.09.2010 ईस्वी को एक अवैध विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या 30 श्री सुरेन्द्र सिंह पिता सुल्तानसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया और इस सुरेन्द्रसिंह चुण्डावत ने इसी भूमि का विक्रय विलेख तारीख 15.11.2010 ईस्वी को प्रतिवादी संख्या 31 श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी, प्रतिवादी संख्या 32 श्री कालुलाल पिता रूपा डांगी के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिन्होने इस भूमि पर जबरन कब्जा कर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है। जिस वजह से वादी श्री सुरेन्द्रसिंह, श्री लेहरीलाल और श्री कालुलाल से इस वादग्रस्त विक्रीत भूमि का कब्जा एवं हर्जाना रूपया 2,000/— अक्षरे दो हजार रूपया प्रति एक साख के हिसाब से प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा उक्त तनकी की समर्थन में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 21.09.2010 प्रदर्श 41, विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2010 प्रदर्श 42 पेश किये। जिससे स्पष्ट होता हैं कि [illegible] हुआ हैं। उक्त विक्रय दौराने वाद हुआ हैं। अतः वादी उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

में आंशिक सफल रहा हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती हैं।

23. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में पन्नालाल के वारिस भागचन्द, रामप्रताप, चम्पालाल, रामचन्द्र के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना जाहिर हुआ जो भागचन्द की मृत्यु के बाद विरासत से रामप्रताप, चम्पालाल, रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज हुई जो प्रदर्श 1 व 3 से स्पष्ट होता हैं। वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा नाथुलाल पिता गोविन्दराम के नाम व वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा नन्दकिशोर पिता सीताराम के नाम पर दर्ज था जो दस्तावेज प्रदर्श 3 से स्पष्ट होता हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 24 मांगीलाल मण्डोवरा के पिता स्व. नन्दकिशोर जी ने सम्वत् 2007 के चेत्र सुदी तेरस को बिल एवज रूपया 50/– वादी के दादाजी श्री पन्नालाल को अपना 1/3 हिस्सा विक्रय करना दस्तावेज 38ए से बताया है परन्तु उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होकर साधारण कागज पर लिखा गया है जिसकी सत्यता पर संशय होता है तथा साथ ही उक्त दस्तावेज में कहीं भी मौजा व आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख किया जाना जाहिर नहीं होता है। वैसे भी न्यायालय का अभिमत है कि उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं तथा उक्त अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्बन्ध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में स्टाम्प शूल्क जमा करवाया गया हो।न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन दस्तावेज प्रदर्श 38ए जिस लिखापढी के आधार पर जो ना ही रजिस्टर्ड है, ना हि पंजीकृत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा किन प्रवृत शर्तो के अधीन दी जायेगी उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। लिखित समझौता, मौखिक साक्ष्य, इकरारनामा इत्यादि के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। न्यायिक दृष्टांत छोगा बनाम रामनाथ 1981 आर.आर.डी. पेज नम्बर 173 एवं सोहनसिंह बनाम लाला 1981 आर.आर.डी. 560 के अनुसार यदि इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं था, तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। खातेदारी की घोषणा के संबंध में अधिकार अभिलेख को सही करने की प्रार्थना की गई। ऐसी घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Silvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

दी जा सकती है। जब खातेदारी बिना किसी विधिक उपबंध के और साक्ष्य के दे दी गई, तो अपास्त की गई।

वादी का कथन है कि सम्वत् 2007 से वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 14 का कब्जा होने से तथा प्रतिवादी सं. 15 से 22 का कब्जा नहीं होने से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 14 खातेदार हो गये हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी चाह रहा है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सके साथ ही वादी यह भी स्वीकार कर रहा है कि वर्तमान में कब्जा दौराने विक्रय किये गये क्रेतागण का हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सुन्दरलाल पिता स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडोदरा गुजरात।

............वादी

बनाम्

1. श्री ललित पिता स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडौदरा गुजरात।
2. श्रीमती सोहनबाई बेवा स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ए94 मोतीनगर नम्बर 2, तरशाली सुसेन रिंग रोड बडौदरा गुजरात।
3. श्रीमती पार्वतीबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी भगतराम डाड निवासी श्री रामकुटीर सोमानी बाग के पीछे कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. श्रीमती रूकमाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी रामेश्वरलाल असावा निवासी केलवाडा तह. केलवाडा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती जमनाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी शंकरलाल ईनाणी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
6. श्रीमती कान्ताबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी मांगीलाल मंत्री निवासी 12 आशीष सोसायटी पानी की टंकी के सामने नडियाद जिला खेडा, गुजरात।
7. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व. रामचन्द्र मण्डोवरा पत्नी सुरेश सामरिया निवासी हनुमान गली, सामरिया पोल भीण्डर तह. वल्लभनगर।
8. श्री राकेश पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल जामनगर 45 दिगविजय प्लोट ओसवाल बोर्डिंग के सामने जामनगर गुजरात।
9. श्री दिलिप पिता जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारोली बाग बडौदरा गुजरात।
10. श्री अनिल पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारोली बाग बडौदरा गुजरात।
11. श्री अल्पेश पिता स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2 कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
12. श्रीमती शान्तीबाई बेवा स्व. जगदीश मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 66 दिपिका सोसायटी नम्बर 2, कारोली बाग बडौदरा गुजरात।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

13. श्रीमती मन्जु पुत्री जगदीश पत्नी अर्जुनलाल मंत्री निवासी 5/आवकार सोसायटी विभाग 2 प्रेरक बंगले के पीछे आनन्दनगर के सामने कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
14. श्रीमती सरोज पुत्री जगदीश पत्नी महेन्द्र मुन्दडा निवासी बी 14 मन्जीत सोसायटी साई दीप अपार्टमेन्ट के पास कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
15. श्री भंवरलाल पिता रामप्रताप मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल भीण्डर सदर बाजार तह. वल्लभनगर।

15/1 श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल मण्डोवरा निवासी भीण्डर तह. वल्लभनगर।

15/2 श्रीमती पुष्पा पुत्री भंवरलाल मण्डोवरा पत्नी रामचन्द्र पोरवाल निवासी 4 देव प्रीतम नगर फस्ट कॉर्नर हरिकृष्णा कॉम्पलेक्स के पीछे 38 पालडी, एलीस ब्रीज अहमदाबाद 6 गुजरात।

15/3 श्रीमती सुशीला पुत्री भंवरलाल मण्डोवरा पत्नी सुनील चण्डक उपरला पाडा चण्डक भवन गांधी चोक चित्तौडगढ।

16. श्री कैलाश पिता बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 8 धनन्जय सोसायटी वी.आई.पी. रोड कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
17. श्री राजेन्द्र पिता बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 12 आर.आर. अपार्टमेन्ट के पास कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
18. श्रीमती रूकमणी देवी बेवा बंशीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 8 धनन्जय सोसायटी वी.आई.पी. रोड कारेली बाग बडौदरा गुजरात।
19. श्री नाथुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।
20. श्री कन्हैयालाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल ओलपाड आलुका सुरत जिला सुरत गुजरात सी/5 सिद्वार्थ नगर सोसायटी ओलपाड।
21. श्री केशुलाल पिता चम्पालाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल 150 आनन्दनगर सोसायटी कारेली बाग रोड बडौदरा गुजरात।
22. श्रीमती गंगा पुत्री चम्पालाल मण्डोवरा पत्नी शंकरलाल जागेटिया निवासी पलानाखुर्द हाल वनमाली कांकाणी पोण मोटाडेली शाहपूर चकला शाहपूर अहमदाबाद गुजरात।
23. श्री नाथुलाल पिता गोविन्दराम मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।
24. श्री मांगीलाल पिता नन्दकिशोर मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल नडियाद भाग्योदय कुकर सर्विस सेन्टर काछियावाड नडियाद जिला खेडा गुजरात।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

24/1 श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल अहमदाबाद ए/401 सत्यम अपार्टमेन्ट स्पेक्टम टावर के पास पुलिस स्टेडियम के सामने शाही बाग अहमदाबाद गुजरात।

24/2 श्री कुंजबिहारी पिता मांगीलाल मण्डोवरा निवासी पलानाखुर्द हाल नडियाद भाग्योदय कुकर सर्विस सेन्टर काछियावाड नडियाद जिला खेडा गुजरात।

24/3 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी जमनालाल नारायणीवाल निवासी कुंथवास हाल अहमदाबाद 35 ज्योति का पाके पुलिस कमीश्नर ऑफिस के पास शाहीबाग अहमदाबाद।

24/4 श्रीमती मंजु पत्नी नवनीतलाल तापडिया निवासी सेमल हाल अहमदाबाद गुजरात बी/14 कृष्णधाम सोसायटी नाडोल गांव ईशनपुर अहमदाबाद गुजरात।

25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली तह. मावली।
26. श्रीमती कंचन बेवा जानकीलाल ईनाणी निवासी हाल अहमदाबाद 51 मंगल ध्वनी सोसायटी रामराज्य नगर के पास सरस्वती के पीछे ओढव अहमदाबाद गुजरात।
27. श्रीमती सोहनदेवी पत्नी मांगीलाल पोरवाल निवासी कुंवारिया जिला राजसमन्द।
28. श्रीमती लीला पत्नी ईश्वरलाल सोमाणी निवासी उपरला बगेला मुकाम पोस्ट पलानाखुर्द तह. मावली।
29. श्रीमती शारदा पत्नी चन्द्रकान्त जागेटिया निवासी 10 पंचवटी कॉम्पलेक्ट बारडोली जिला सुरत गुजरात।
30. श्री सुरेन्द्र पिता सुलतान सिंह राजपूत निवासी साकरियाखेडी तह. मावली।
31. श्री लेहरीलाल पिता रामा डांगी निवासी डांगीखेडा पलानाखुर्द तह. मावली।
32. श्री कालुलाल पिता रूपा डांगी निवासी डांगीखेडा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 349/07 (वाद)

GCMS No. : 2007/00084

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलहू पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:16 IST
Reason: SelfAttested